

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग:

लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 2024

विषय:-स्वतंत्रता दिवस-2024 के अवसर पर 'हर घर तिरंगा' अभियान के सम्बन्ध में।

महोदय,

आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत प्रदेश में 'हर घर तिरंगा' अभियान 2022 व 2023 का भव्यपूर्ण सफल क्रियान्वयन किया गया। प्रदेश के समस्त विभागों ने इन अभियानों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। विगत वर्षों में 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में समस्त आवासित घरों, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों एवं समस्त शिक्षण संस्थानों पर क्रमशः लगभग 5 करोड़ एवं 4.5 करोड़ तिरंगा फहराते हुए कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस संबंध में सभी से यह भी अनुरोध किया गया था कि 15 अगस्त, 2023 के उपरान्त इन झण्डों को आजादी का अमृत महोत्सव के स्मृति चिन्ह के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा। इस तरह से प्रत्येक घर में सुरक्षित इन झंडों को इस वर्ष पुनः दिनांक 13-15 अगस्त, 2024 के मध्य संचालित हर घर तिरंगा अभियान में उपयोग में लाने के लिए प्रेरित किया जाए। झण्डों को पुनः उपयोग में लाने हेतु झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए 'हर घर तिरंगा' की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

2- कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है। इसी के दृष्टिगत पुनः दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य सम्पूर्ण देश में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जानी है:-

- (1) विगत वर्ष की भांति 'हर घर तिरंगा' अभियान हेतु झण्डों की अतिरिक्त आवश्यकता की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दो करोड़ झण्डों का उत्पादन करके की जायेगी, जिसका भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा एवं शहरी क्षेत्रों में झण्डों की आपूर्ति हेतु 50 लाख झण्डों का उत्पादन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से किया जायेगा, जिसका भुगतान नगर विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (2) समस्त जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा झण्डा उत्पादन इकाईयों- जैसे एन०जी०ओ०, लघु उद्योगों, खादी एवं ग्रामोद्योग, निजी सिलाई केन्द्र एवं अन्य उत्पादनकर्ताओं को सक्रिय करते हुए झण्डों का उत्पादन किया जाए।
- (3) राज्य हथकरघा निगम के पास उपलब्ध झण्डों की आपूर्ति नगर विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(4) जेम पोर्टल/ऑन लाइन शापिंग पोर्टल पर उपलब्ध झण्डों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए आमजनमानस को प्रेरित किया जाए। राशन की दुकानों/पेट्रोल पम्पों/घरेलू गैस विक्रय केन्द्रों/ग्राम पंचायत भवनों/ तहसील/विकास खण्ड कार्यालयों/ऑगनबाड़ी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों आदि में झण्डों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

(5) दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक आमजनमानस को अपने-अपने घरों, कार्यालयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/ औद्योगिक प्रतिष्ठानों/शैक्षणिक प्रतिष्ठानों/ऑगनबाड़ी केन्द्रों/अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में एफ0एम0/रेडियो चैनल/स्थानीय केबिल नेटवर्क/प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया/ टोल प्लाजा/बस स्टेशनों/मेट्रो स्टेशनों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर झण्डा फहराने हेतु प्रेरित किया जाए।

(6) समस्त सरकारी कार्यालय/शिक्षण संस्थान खादी से निर्मित ध्वज का ही आरोहण करेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा खादी से निर्मित ध्वजों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(7) समस्त विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय समितियों के साथ बैठक कर तिरंगा अपने प्रतिष्ठानों में सी0एस0आर0 संसाधनों के माध्यम से क्रय कर फहराये जाए।

(8) मा0 जनप्रतिनिधिगण के साथ भी पृथक से बैठक कर उन्हें कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दे दी जाये।

(9) गृह विभाग सुनिश्चित करे कि पुलिस विभाग के पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्रियाशील रहे। दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य झण्डा गीत, राष्ट्रीय गीतों के साथ ही साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में सूचनाओं का प्रसारण होता रहे। दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य गृह विभाग द्वारा शहीद स्मारकों पर राष्ट्रध्वज के साथ पुलिस/पी0ए0सी0 बैण्ड का वादन किया जाए।

(10) दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक समस्त सरकारी भवनों पर तिरंगा लाइटिंग करायी जाए।

(11) नगर विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े समस्त स्थलों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए एवं साइनेज भी लगवाये जाए।

(12) समस्त शिक्षण संस्थाओं में हर घर तिरंगा से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उक्त आयोजन के संबंध में शासन से निर्गत आदेशों का प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(13) सेल्फी/रील्स/वीडियो/झण्डे के साथ फोटो अथवा देशभक्ति/झण्डागीत के साथ वीडियो अभियान से जुड़ी वेबसाइट harghartiranga.com पर अपलोड करने हेतु आमजनमानस को प्रेरित किया जाए।

3- योजना का कार्यान्वयन-

(1) हर घर तिरंगा कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा झण्डा संहिता में वर्ष 2021 में संशोधन किया गया है। **(संलग्नक-1)**

(2) हर घर तिरंगा कार्यक्रम हेतु नागरिकों को झण्डा फहराने की विधि तथा अन्य जानकारियों से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए। **(संलग्नक-2)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(3) हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्रभावी समन्वय हेतु जनपदों द्वारा की गयी कार्यवाही की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट <https://culturalevents.in> पर उपलब्ध गूगल लिंक के माध्यम से अपलोड किया जाए।

4- 'हर घर तिरंगा' अभियान के कार्यान्वयन हेतु समस्त जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
पुलिस आयुक्त द्वारा नामित पुलिस उपायुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक	उपाध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
नगर आयुक्त/अधिसासी अधिकारी/नगर पालिका/नगर पंचायत	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, छावनी परिषद	सदस्य
मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
जिला विकास अधिकारी	सदस्य
जिला प्रोबेशन अधिकारी	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
उप निदेशक/जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
उपनिदेशक पर्यटन/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/पर्यटक अधिकारी	सदस्य
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
कार्यक्रम अधिकारी(एकीकृत बाल विकास योजना)	सदस्य
जिला युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य
परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य
प्राचार्य, आई0टी0आई0	सदस्य
जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
जिला समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र	सदस्य
समन्वयक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन -	सदस्य
समन्वयक, नागरिक सुरक्षा संगठन	सदस्य
एन0सी0सी0 के अधिकारी/एन0एस0एस0 के समन्वयक	सदस्य
जिलाधिकारी द्वारा नामित उद्योग मण्डलों/व्यापार मण्डलों के प्रतिनिधिगण	सदस्य
जिला पंचायतीराज अधिकारी	सदस्य सचिव

उपरोक्तानुसार गठित समिति के सदस्यों की सूची दृष्टान्त के रूप में है। जिलाधिकारी अपनी सुविधानुसार इसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। विकास खण्ड स्तर पर भी इसी प्रकार से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

समितियों का गठन करा लिया जाए जिसमें एक जिला स्तरीय एक अधिकारी को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी जाये।

अतएव उपरोक्त निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद में व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

संख्या- 278 /2024/ 2162(1) /चार-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

File No. 02/01/2020-Public (Part-III)
 Government of India
 Ministry of Home Affairs
 (Public Section)

North Block, New Delhi
 Dated 30th December, 2021

ORDER

Subject: Amendment in the Flag Code of India, 2002- Reg.

The use/display/hoisting of the Indian National Flag is governed by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002, which are available on this Ministry's website www.mha.gov.in. With the approval of the Competent Authority, paragraph 1.2 of Part-I of the Flag Code of India, 2002 has been amended and it shall be read as under :-

"1.2 The National Flag of India shall be made of hand spun and hand woven or machine made, cotton/polyester/wool/silk khadi bunting".



(Vijay Kumar)

Deputy Secretary to the Government of India
 Tele No. 2309 3101

To

**The Chief Secretaries/Administrators of
 All State Governments/UT Administrations,
 Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.**

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice - President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. Registrar, all High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 5 Spare Copies.



(Vijay Kumar)

Deputy Secretary to the Government of India
 Tele No. 2309 3101

झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

- 1- झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।
- 2- इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।
- 3- झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा/मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि हो सकती है।
- 4- झण्डे तीन रंगों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये जायेंगे।
- 5- सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

झण्डा फहराने के नियम

- 1- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है।
- 2- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
- 3- झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।
- 4- दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।
- 5- झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।
- 6- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।
- 7- हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।